भारतीय राजनीति की दिशा और केजरीवाल

पिछले एक डेढ़ वर्ष से भारत की सम्पूर्ण राजनीति की दिशा बदल गई है। साम्प्रदायिकता के मामले में स्वतंत्रता के बाद से अब तक धर्म–निरपेक्षता की जो अल्प संख्यक तुष्टिकरण की परिभाषा प्रचलित थी, वह परिभाषा अब या तो बदल गई है या उलट कर बहुसंख्यक तुष्टिकरण की दिशा में जा सकती है। आर्थिक विकास के मामले में अब तक मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम पर वामपंथ समाजवाद की ओर झुकी हुई नीति काम कर रही थी, जो अब बदलकर पूँजीवाद की दिशा में जा रही है। पहले भारत कमजोर वर्गो के तुष्टिकरण को महत्वपूर्ण मानता था, अब भारत दुनिया से आर्थिक मामलों में प्रतिस्पर्धा की दिशा में बढ़ रहा है। पहले भारत में हिन्दी को जिंदा रखकर अंग्रेजी का प्रभुत्व बनाये रखने का प्रयत्न चल रहा था तो अब अंग्रेजी को जिंदा रखकर हिन्दी के वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद अब तक सभी राजनेताओ ने परिवार के लिए सत्ता को सर्वाधिक महत्व प्राप्त था, तो अब परिवार केन्द्रित सत्ता का युग समाप्ति की ओर बढ़ता दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह दिख रहा है कि भ्रष्टाचार भारत में लाइलाज बीमारी के रुप में दिखने लगा था किन्तु पहली बार ऐसा आभाष होने लगा है कि इस बीमारी को नियंत्रित करना असंभव नहीं है। पहले विदेशी समूहों से भारत बराबरी की बात करने में डरता था किन्तु अब भारत बराबरी से भी आगे जाकर बात करने की हिम्मत दिखा रहा है। मैंने अब तक जो ऑकलन किया उसके अनुसार मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि भारत की राजनैतिक व्यवस्था पिछले डेढ़ वर्ष में जितनी ठीक दिशा में जाने की उम्मीद की गई थी उससे कई गुना अधिक ठीक दिशा में जाती दिख रही है। यह स्पष्ट आभाष सिर्फ नरेन्द्र मोदी के ही क्रियाकलाप से नहीं दिख रहा है, बल्कि विपक्ष के आचरण में भी ऐसा स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है।

मैनें लोक सभा चुनावों के बहुत पूर्व ही यह कहा और लिखा था कि भारत में सत्ता परिवर्तन को ठीक दिशा देने में चार ही लोगों का नेतृत्व सफल हो सकता है–1. मनमोहन सिंह 2. नितिश कुमार 3. अरविंद केजरीवाल 4. नरेन्द्र मोदी। मैंने यह भी लिखा था कि कोई भी पाचवॉ व्यक्ति न तो प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है न ही उसका बनना उचित है। मेरे विचार में भारत मनमोहन सिंह, नरेन्द्र मोदी, नितिश कुमार के विषय में उनकी योग्यता और नीयत को परख चुका है। परंतु अरविंद केजरीवाल की योग्यता तो स्पष्ट दिख रही है किन्तु नीयत का परीक्षण अभी बाकी है। इस ऑकलन को कई वर्ष बीच चुके है, तथा अनेक नई– नई घटनाएँ सामने आ चुकी है। मुझे खुशी है कि कई वर्ष पूर्व लिखी गई ये अनुमानित राजनैतिक बातें अब भी यथावत सही सिद्ध हो रही है। मनमोहन सिंह एक इतिहास पुरुष बन चुके हैं। अब वे सिर्फ सम्मान के पात्र रहेंगे, उनका इसके अतिरिक्त कोई उपयोग सम्भव नहीं है। नरेन्द्र मोदी तथा नितिश कुमार अपनी योग्यता क्षमता और ईमानदारी के बल पर अब भी स्पष्ट दौर में बने हुए है। अभी यह दिख रहा है कि नरेन्द्र मोदी बहुत आगे चल रहे है। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि नरेन्द्र मोदी के बाद दूसरा नम्बर नितिश कुमार का ही है। यदि किसी तीसरे व्यक्ति पर कोई सम्भावना टटोली जा सकती है तो वह एक मात्र अरविंद केजरीवाल है। वर्तमान घटनाओं को यदि हम ठीक से देखे तो कभी अरविंद केजरीवाल दौड़ से बाहर दिखने लग जाते है तो कभी अन्दर। नितिश कुमार और नरेन्द्र मोदी के विषय में कोई स्पष्ट धारणा बनाने में हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु अरविन्द केजरीवाल के विषय में कोई धारणा बन नहीं पा रही।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के रुप में अरविद केजरीवाल का पहला कार्यकाल बहुत सफल रहा। लोक सभा चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल मोदी की अजेय लोकप्रियता के बाद भी बराबर की टक्कर देने में सफल रहे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पहले पचास दिनों के कार्यकाल का ऑकलन हुआ और उस आधार पर उन्होंने सभी राजनैतिक दलों को दिल्ली की दौड़ से बाहर कर दिया। किन्तु दुबारा मुख्यमंत्री बनते ही अरविंद केजरीवाल की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े होने लग गये और कभी–कभी तो उनकी नीयत पर भी संदेह होने लगा। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनते ही क्या हो गया कि वे दिन रात सफल मुख्यमंत्री सिद्ध होने की अपेक्षा नरेन्द्र मोदी की सरकार के उपर सिर्फ आक्रमण को ही एक मात्र काम बना लिये। मैं देख रहा था कि उनके किसी भी कथन में एक नया पैसा भी विश्वसनीयता का भाव नहीं था। उनके किसी विधायक को या मंत्री को यदि फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया तो अरविंद केजरीवाल ने उसका सारा दोष न गृहमंत्री को दिया, न केन्द्र सरकार को दिया, न कभी प्रधानमंत्री को दिया बल्कि केवल और केवल एक नाम नरेन्द्र मोदी का लेकर वे आरोप लगाते रहे। इस प्रकार आरोपों को देखकर ऐसा आभाष होता था कि अरविंद केजरीवाल केन्द्र सरकार से उस सीमा तक टकराना चाहते है जिसमें केन्द्र सरकार उनकी दिल्ली सरकार को बर्खास्त करके उन्हें शहीद बना दे और वे अगले लोकसभा चुनाव में सीधे मोदी को टक्कर दे सकें। अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में प्रत्यक्ष और

परोक्ष सारे प्रयत्न किये किन्तु केन्द्र सरकार ने ऐसी भूल नहीं की और उसका परिणाम हुआ कि हार थक कर अरविंद केजरीवाल को अपनी राजनैतिक दिशा बदलनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने धीरे–धीरे इस टकराव को खत्म किया और दिल्ली की प्रदेश सरकार को अपनी परीक्षा मानकर काम करना शुरु किया। पिछले एक दो महिने से अरविंद केजरीवाल की नीतियों में व्यापक परिवर्तन दिख रहा है। उ0प्र0 में गोमांस भक्षण पर किसी एक मुसलमान की हत्या पर उनका दिल्ली की जनता को जो संदेश प्रसारित हुआ वह उनकी बदली हुई कार्यप्रणाली का द्योतक है। जो अरविंद केजरीवाल मेरे लाख समझाने के बाद भी कृत्रिम उर्जा मुल्यवृद्धि के विकल्प के खिलाफ थे वही अरविंद केजरीवाल अब कृत्रिम ऊर्जा मूल्यवृद्धि का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने दे रहे। उन्होंने दिल्ली में डीजल, पेट्रोल का मूल्य बढ़ाकर बहुत हिम्मत का काम किया। अभी सुप्रीम कोर्ट की सलाह से उन्होंने दिल्ली से आने वाली मालवाहक गाड़ियों पर 700 सें 1400 रुपये तक का पर्यावरण टैक्स लगाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने एक मंत्री का भ्रष्टाचार का प्रमाण देखते ही उस पर अत्यंत कठोर कार्यवाही की। ये सब लक्षण इस बात का स्पष्ट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी कार्यप्रणाली बदल ली है। इन सबके बाद भी अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि नरेन्द्र मोदी तथा नितिश कुमार के समान अरविंद केजरीवाल भी अपनी नीयत की परीक्षा पास कर चुके है। किन्तु इतना अवश्य दिख रहा है कि अब भी वे इस प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं हुए हैं।

मैं आश्वस्त हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री कोई भी हो किन्तु अब भारत वैसे दिनों को पार करके आगे बढ़ चुका है जैसे दिन पिछले 67 वर्षो में देखने को मिले, भविष्य अच्छा ही होगा।

स्थानीय मामलों में निर्णय का अंतिम अधिकार स्थानीय या राष्ट्रीय

मणिपुर में कई दिनों से इस बात पर टकराव चल रहा है कि बाहर के लोगों को मणिपुर में निर्वाध आने, बसने और रोजगार की स्वतंत्रता होनी चाहिये अथवा नहीं। स्पष्ट है कि मणिपुर एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां यदि बाहर के लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कि बाहर के लोग तेजी से तरक्की करेंगे और उनके अनुपात में स्थानीय लोग पिछड़े रह जायेंगे। एक दूसरा विचार यह भी है कि बाहर के लोग आयेंगे और तरक्की करेंगे तो उन्ही के साथ–साथ स्थानीय लोग भी आंशिक रूप से प्रगति करेंगे। इन दोनों विचारो में क्या सही है और क्या होना चाहिये यह लम्बे समय से विवाद का विषय बना हुआ है और अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।

विदेशी कम्पनियां भारत में आयेगी तो भारत के लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। वे कम्पनियां आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होंगी और तकनीकी दृष्टि से भी। वे भारत के रोजगार धंधो पर छा जायेंगी और यहां के लोगो को बेरोजगार कर देंगी। इसी के साथ– साथ एक दूसरी मान्यता भी है कि विदेशी कम्पनियां भारत में आयेगी तो नये–नये रोजगार के अवसर पैदा करेंगी। वे खुद तो मालामाल होंगी ही लेकिन उसका आंशिक लाभ भारत के लोगों को भी होगा। यह बात भी अभी तक तय नहीं हो पायी कि उचित क्या है।

अभी–अभी बम्बई नगर निगम ने एक सप्ताह के लिये जैन त्योहारो को देखते हुए मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध पहले से दो दिन का था जिसकी अवधि बढ़ाई गई। शिव सेना सहित अनेक संगठनों ने विरोध किया और इस प्रतिबंध को मौलिक अधिकारों का उलंघन माना। मामला न्यायालय में गया और न्यायालय ने भी एक सप्ताह की उक्त अवधि में पशुवध पर तो रोक लगा दी, किन्तु मांस विक्रय या मांसाहार की खुली अनुमति दे दी।

बहुत लम्बे समय से यह बहस चल रही है कि गांव को अपने गांव संबंधी मामलों में निर्णय करने का अंतिम अधिकार है या नहीं। इसका अर्थ हुआ कि क्या किसी गांव में आकर नया बसने वाला गांव की अनुमति से गांव में बसेगा? अथवा भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को कही भी जाकर रहने रोजगार करने की स्वतंत्रता है और उसे किसी स्थानीय इकाई की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। लम्बे समय तक विचार मंथन के बाद भी अंतिम रूप से कोई निर्विवाद निष्कर्ष नहीं निकल सका। किसी व्यक्ति को अपने गांव में नंगा रहने की किस सीमा तक स्वतंत्र या अनुमति होगी और उसे अनुमति या स्वतंत्रता देने का अधिकार राष्ट्रीय व्यवस्था का होगा या स्थानीय व्यवस्था का ? यह प्रश्न अब तक अनिर्णीत है। कुछ वर्ष पूर्व ही हमने देखा कि उड़ीसा में मारवाड़ी भगाओ आंदोलन चला कर बड़ी मात्रा में लम्बे समय तक वहां रह रहे मारवाडी भगा दिये गये और बहुतो ने आकर छत्तीसगढ में अपना व्यापार बढ़ा लिया। यदि निष्पक्ष ऑकलन करें तो अब तक यह साफ नहीं हो सका कि मारवाडियो को भगाने के बाद उडीसा की उन्नति में कितनी तेज गति आयी और छत्तीसगढ में उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा। कुछ वर्ष पहले ऐसी ही स्थानीय भावना के अंतर्गत बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र को नमुने के तौर पर बाहर के लोगों के आवागमन से प्रतिबंधित कर दिया गया। इन्ही वर्षो में उस अबूझमाड़ क्षेत्र में तेजी से विकास भी रूका और नक्सलवाद भी छा गया। अब सरकार ने यह प्रतिबंध उठा लिया। इस तरह उपर उपर देखने से तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय करने की व्यवस्था अच्छी दिखती है

किन्तु यदि दुसरे पक्ष पर सोचे तो यह न्याय संगत दिखता है कि स्थानीय ईकाई को अपने स्थानीय मामलों में निर्णय करने की असीम स्वतंत्रता होनी चाहिये। इस सीमा तक कि यदि कोई बाहर का नया आदमी गांव में आकर बसना चाहे तो उसे गांव का अनुशासन स्वीकार करना पड़ेगा और गांव की अनुमति लेनी होगी। जिस तरह परिवार मे परिवार के बाहर का कोई सदस्य बिना पारिवारिक अनुमति या सहमति के शामिल नहीं हो सकता अथवा जिस तरह भारत से बाहर का कोई व्यक्ति बिना भारत सरकार की अनुमति या सहमति के भारत में न रह सकता है न आ सकता है न ही रोजगार कर सकता है तो यही अधिकार गांव को देने मे क्या आपत्ति है?

बहुत विचार करने के बाद भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं हुआ। किन्तु कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलना भी चाहिये अन्यथा यह विवाद बढ़ता ही जायेगा। व्यवस्था की तीन इकाइयां मानी जाती है। 1 सचल 2 आंशिक अचल 3 अचल। सचल इकाई उसे कहते है जिसका कोई भी सदस्य बिना उस इकाई की सहमति या अनुमति के बाहर निकल सकता है या निकाला जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि सचल इकाई का प्रत्येक सदस्य आपसी सहमति के आधार पर साथ रहता है और उसे अलग होने मे कोई विशेष भौतिक बाधा नहीं है। किन्तु यदि हम गांव के संबंध में विचार करें तो यह स्थिति परिवार की अपेक्षा कुछ अधिक जटिल है। यदि किसी परिवार को गांव मिलकर बाहर निकालना चाहे तो यह कार्य उतना आसान नहीं इसलिये गांव को अर्ध सचल ईकाई माना जा सकता हैं। फिर यदि हम राष्ट्र के विषय मे विचार करें तो वह तो पूरी तरह अचल इकाई होगी। क्योंकि बिना अनुमति के राष्ट्र से बाहर जाना या प्रवेश करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। यदि हम गांव को परिवार की तरह एक ऐसी इकाई मान ले जिसमे रहने बसने या रोजगार करने के लिये गांव की अनुमति सहमति आवश्यक होगी तो इससे कुछ परेशानिया तो होगी किन्तु कुछ लाभ भी होगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि गांव पर गांव का अनुशासन रहेगा और सरकार पर बोझ बहुत कम हो जायेगा। यदि हम मणिपुर का उदाहरण ले और मणिपुर के लोग बाहर के लोगों को मणिपुर में आकर बसने से रोकना चाहते है तो मेरे विचार में इसमे कुछ भी गलत नहीं है। इसी तरह यदि बंबई के लोग आपसी सहमति से मांसाहार रोकना चाहते है तो वे रोक सकते हैं। उसमे केन्द्र सरकार या न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जब तक निर्णय करने वाली इकाई एक स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। स्पष्ट बहुमत का मतलब न इक्यावन प्रतिशत होना चाहिये न 70 प्रतिशत होना चाहिये। बल्कि वह बहुमत 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत का हो। इसके बाद भी यह आवश्यक है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार न परिवार छीन सकता है न गांव और न केन्द्र। मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है यह निर्णय करना मेरा मैलिक अधिकार है। मैं अपने घर में बैठकर कुछ भी खा सकता हूॅ। किन्तु मैं किसी ऐसी वस्तु को सार्वजनिक जगह पर बैठकर नहीं खा सकता जिसे खाने पर उस गांव में स्पष्ट बहुमत से रोक लगाई हुई है। इसका अर्थ हुआ कि मैं अपने कमरे मे नंगा रह सकता हूॅ परिवार में परिवार की अनुमति से नंगा रह सकता हूॅ, और गांव में नंगा रहने के लिये मुझे गांव की अनुमति लेनी आवश्यक है। लेकिन गांव मुझे परिवार की सीमाओं में नंगा रहने से नहीं रोक सकता। क्योंकि परिवार की सीमाओ में गांव अतिकमण नहीं कर सकता। मेरे विचार से गांव को यह अधिकार दे दिया जाना चाहिये कि ग्राम सभा की सहमति या अनुमति के बिना कोई नया आदमी गांव में नहीं रह सकता। इसी तरह यदि गांव किसी व्यक्ति को गांव छोडने की अपेक्षा करता है तो ऐसे व्यक्ति को गांव छोड़ने का आदेश मानना चाहिये। यह अलग बात है कि गांव छोडने या बसने की अनुमति का आदेश स्पष्ट बहुमत से हो अर्थात वह बहुमत 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत हो, वह आदेश किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करता हो तथा उस व्यक्ति को उस गांव के निर्णय के विरूद्ध जिले की इकाई में अपील करने का अधिकार हो। जिले का निर्णय गांव के लिये पुनः विचार का अवसर देगा किन्तु अंतिम निर्णय गांव का होगा।

यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर विचार करें तो इन सब समस्याओं के समाधान में समान नागरिक संहिता विशेष सहायक हो सकती है। उस पर भी विचार किया जाना चाहिये। मैंने इस लेख के माध्यम से इस विषय पर एक बहस छेडनी चाही है। मैं स्वयं स्पष्ट नहीं हूॅ कि मेरा कथन अंतिम रूप से मेरे विचार में भी मान्य है किन्तु कोई न कोई मार्ग आपसी संवाद से निकलना चाहिये और यही सोचकर मैंने यह लेख लिखा है।

(1)रामलाल नागर, काशगंज उत्तर प्रदेश, ज्ञान तत्व 4171

प्रश्नः— मैंने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं आपका मार्गदर्शन चाहिए—(1) यह कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी महसूस करता है क्योंकि अभी तक सही मार्ग तय नहीं कर पाया है। अतः मैं अनुभव के आधार पर जन साधारण को निम्नलिखित संदेश देना चाहता हूॅ ताकि मनुष्य अपने को सुखी महसूस कर सके।

(2) प्राणी मात्र (मनुष्य) को चाहिए कि व्यक्ति संसार में रहकर जो भी कार्य करें उससे पहले यह सोच कर कार्य करें कि किसी प्राणी को कोई भी दुख तो नहीं हो रहा है जिससे सभी प्राणी संसार में रहकर जनकल्याण के लिए काम कर सकेंगे।
(3) यदि त्याग भी कर सके तो मनुष्य व्यक्तिगत रुप में सुख का अनुभव करेगा।
(4) त्याग करने योग्य कुछ अवगुण दुख के कारण हैं। काम (वासना), क्रोध, लोभ, मोह, मद, मतसर। ध्यान रहे कि किसी एक अवगुण का भी त्याग जीवन को सदैव सुखी बना सकता है अन्यथा इन अवगुणों की आग में मनुष्य जीवन पर्यन्त जलता है और दुख का अनुभव करता रहता है।
(5) मंदिर, मस्जिद, मजार और गुरुद्वारों में जो प्राणी जाकर सुख मॉगते है उन्हें वहॉ नही मिलता है। जबकि प्रत्येक धर्म सद्मार्ग की प्रेरणा देता है और निज कृत कार्य का फल भी वैसा ही मिलता है। जो मनुष्य सुख चाहते हैं वो लोग दूसरों के सुख की कामना करें और वैसा ही करें जिससे दूसरे लोग भी सुख का अनुभव करने लगे तो आप को यश ख्याति तथा अत्यंत सुख प्राप्त होगा।
नोटः– मैंने गायत्री परिवार के समक्ष क्रोध त्याग का संकल्प लिया है तब से तो मन में और समाज में अपने प्रति शांति और प्यार का अनुभव कर रहा हूँ।

उत्तरः—प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का ऑकलन करके ही सक्रियता का संकल्प लेना चाहिए। जिसकी अधिक क्षमता हो वह छोटा संकल्प ले तो समाज के लिए कम लाभदायक होगा, किन्तु यदि कम क्षमता का व्यक्ति बिना अपनी क्षमता का ऑकलन किये बड़ा संकल्प ले लें तो समाज के लिए हानिकर हो जाता है। टी.बी. के अस्पताल में टी.बी. के मरीज का और कैंसर के अस्पताल में कैंसर के मरीज का ही ईलाज उचित होता है। रेडक्रॉस जिस कार्य में सक्रिय है वह कार्य भी कम महत्व का नहीं। किन्तु हमारी सेनायें जिन आततताइयों को मारती है, वह काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रेडक्रास का। यदि रेडक्रास युद्ध क्षेत्र में जाकर मारने वाले पक्ष को यह शिक्षा दे कि आततायी को मत मारों अन्यथा हमारा काम बढ़ जायेगा तो रेडक्रास का कार्य गलत है।
मैं मानता हूँ कि चरित्र निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है किन्तु दुष्ट प्रवृत्ति दमन भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा यह ध्येय वाक्य उन सबके लिए उचित है जो इससे अधिक करने की क्षमता नहीं रखते। यह कार्य उन परिस्थितियों में भी उचित है जब आततायी, अपराधी प्रवृत्तियॉ, समाज अथवा शासन के भय से दबी हो, किन्तु जब आततायी अपराधी प्रवृत्तियॉ लगातार बढ़ रही हो, हिंसा पर विश्वास बढ़ रहा हो, धुर्तता सफलता के शस्त्र के रुप में उपयोग हो रही हो और यह सब प्रवृत्ति वश न होकर जान बूझकर हो रहा हो तब मेरे जैसे सक्षम व्यक्ति को आप जैसे कमजोर व्यक्ति की लाईन पर नहीं चलना चाहिए। हम शेर को तो नहीं रोक सके और गाय को प्रवचन दें कि जो होगा अच्छा ही होगा, मृत्यु में भी सुख है, संकट के समय भी प्रसन्न रहना चाहिए, ऐसी बाते भले ही आप कहें गायत्री परिवार कहे, कुछ अन्य लोग भी कहे, किन्तु मैं तो नहीं कह सकता। क्योंकि मैं वर्तमान परिस्थितियों को इस लायक नहीं समझता कि निश्चिंत होकर चरित्र निर्माण या समाज सुधार का काम किया जाये। मैं आपको निराश नहीं कर रहा। आप अपनी क्षमता अनुसार जो कर रहें है वह ठीक कर रहे है। किन्तु यदि मेरे जैसे क्षमतावान लोग दिखें तो उन्हें आप अपने मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित मत करिये।

(2) शिवदत्त बाघा,बांदा,उ0प्र0 ज्ञानतत्व 7880

प्रश्नः— प्राण हरण करने वाले विष को भी विधि व संस्कारित भावना के जरिए प्राण दायक औषधि में बदला जा सकता है। पर हम सबकी दयनीय स्थिति यह है कि हम सब फिजूल में ही विष के मारक गुण पर ही चर्चा को केन्द्रित रखने में अपनी अपनी बुद्धिमता का प्रदर्शन करते दिख रहे है। जबकि बहस इस बात को लेकर चलनी चाहिए और केन्द्रित होनी चाहिए कि किन विधि व संस्कारों के जरिए हम उस विष में औषधीय गुणों को प्रकट कर उसका उपयोग प्राण दायक औषधि के रुप में कर सकें।
अभी तक हम मनुष्य के अन्दर से एकाधिकारवादी जंगली प्रवृत्ति को निकाल पाने में असफल ही दिख रहे हैं बावजूद इसके कि अपेक्षाकृत हम आज कही ज्यादा सभ्य, सुसंस्कृत, शिक्षित व चतुर हुए हैं। अर्थ यह कि आदमी को इन्सान बनाने की विधि व संस्कार चाहे अध्यात्मिक हो या भौतिक अब तक तो असफल ही दिख रहे हैं। इसलिए इन बहसों को जन्म मिला कि घर का मुखिया कौन हो नारी या नर, सम्पत्ति का अधिकार किस–किस को हो आदि। हम लिंग भेद न भी करें तो यह हमारी मर्जी पर निर्भर नहीं है। यह मर्जी उसकी है जिसने सृष्टि बनायी। स्त्री–पुरुष दोनों मिलकर इस संसार की परिभाषा पूरी करते है। इसीलिए दोनों को एक– दूसरे का पूरक कहा गया है। सहभागीदार सहयोगी यह शब्दाडम्बर है। आज भारत जन संख्या वृद्धि को समस्या के रुप में देख रहा है किन्तु इससे निपटने के

लिए कत्लो–गारद की इजाजत नहीं दी जा सकती। संयम नियम के लिए तो कहा जा सकता है किन्तु आपराधिक अमानुषिक तौर तरीकों का सहारा इस समस्या के समाधान के लिए नहीं लिया जा सकता। नारी को लेकर समाज में कोई समस्या है तो इसके लिए कन्याभ्रूण हत्या को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है और आबादी में महिलाओं की संख्या घटने से कैसे उसके सम्मान की सुरक्षा की जा सकती है। बात फिर आकर वही अटकती है कि समस्या स्त्री–पुरुष के भेद को लेकर नहीं है समस्या है मानव के अन्दर बैठे एकाधिकारवादी दानव यानी दृष्टिकोण को लेकर। यह समस्या केवल स्त्री–पुरुष के बीच की ही नहीं है न परिवार, समाज की अकेले की है वरन् सारे संसार की ही है। हर संगठन, सभा, सोसायटी की है और हमारे आपके बीच की भी है। प्रत्येक व्यक्ति छोटे से बड़े स्तर तक हर जगह केवल स्वयं का एकाधिकार चाहता है। संगठन, जाति, धर्म आदि खड़ा करके भी लोग यही मांग कर रहे है।

उत्तरः—यह बात गलत है कि मैं कन्या भ्रूण हत्या के पक्ष में हूँ। मैंने तो यह लिखा है कि भ्रूण हत्या नियंत्रण में बालक–बालिका का भेद नहीं होना चाहिए। या तो सबकी भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगे या सबकी छूट हो।

राजनेता हमेशा ही समस्याओं का ऐसा समाधान करते है जिससे किसी नई समस्या का जन्म हो, तथा वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष बढ़े। यह सभी राजनेताओं की एक समान आदत होती है। प्राचीन समय में जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से कुछ अधिक थी तब बहुविवाह होते थे, दहेज प्रथा थी, पुरुष प्रधान परिवार व्यवस्था थी तथा लड़कियॉ पति के घर जाकर वहॉ रहा करती थीं। मैंने अपने जीवनकाल में सभी राजनेताओं को इन सब प्रथाओं का विरोध करते देखा और सुना है। धीरे–धीरे महिलाओ की संख्या घटनी शुरु हुई। बहुविवाह रुके, विधवा विवाह शुरु हुए। बालिका शिक्षा बढ़ी। महिला और पुरुष के बीच की दूरी घटी । तो अब वही राजनेता पुरुषों के पक्ष में खड़े होकर आवाज लगा रहे है कि महिलाओं की संख्या घटना खतरनाक होगा। प्राकृतिक नियम है कि महिलाओं की संख्या अंतिम रुप से 45 प्रतिशत से नीचे नहीं जा सकती । महिलाओं की संख्या वर्तमान में 48 या 48.50 प्रतिशत के करीब है। दो–तीन प्रतिशत तो घटेगी ही नहीं यह निश्चत है। फिर भी मान लीजिए की घट ही गई तो उसके क्या–क्या दुष्परिणाम संभव है। संभव है कि आबादी वृद्धि अपने आप कम हो जाये। यह भी संभव है कि दहेज पलट जाये और पुरुष परिवार कन्या परिवार को भारी धन देकर विवाह करें। यह भी संभव है कि कुछ परिवारों में महिलाये पुरुषों को अपने घर में घर जमाई के रुप में रखना शुरु कर दें। हो सकता है कि अनेक परिवारों में महिला परिवार प्रधान हो जाये और पति संचालित। यदि यह अन्तर ज्यादा बढ़ा तो यह भी संभव है कि एक महिला के साथ एक से अधिक लोगों का विवाह होने लग जाये। मान लीजिए यदि ऐसा हो भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। पुरुष समाज इन कल्पनाओं से इतना भयभीत क्यों है। सामाजिक व्यवस्थाएँ मॉग और पूर्ति के आधार पर अपने आप संशोधित होती रहती है। किसी व्यवस्था को जबरदस्ती बनाये रखने का प्रयास घातक होता है। राजनेता अपना दायित्व अर्थात अपराध नियंत्रण तो ठीक से पूरा करने मे असफल है और बिना मतलब लिंग अनुपात जैसे काम को हाथ मे लेकर तथा अपने स्वार्थ के कारण समाज को महिला और पुरुष के बीच में बाटकर स्वार्थ सिद्ध करना चाहते है। बाबा रामदेव या अनेक अन्य धर्मगुरु राजनेताओं के आर्शीवाद के लिए चक्कर लगाते रहते है। मीडिया के लोग भी राजनीति आश्रित हो गये है। किन्तु आप तो ऐसे लोग में शामिल नहीं है तो फिर आप पुरुष वर्ग की इन कठिनाइयों से इतना अधिक चिंतित क्यों है? कल्पना करिए कि ऐसा न करके पूरी भ्रूण हत्या पर रोक लगा दी गई तो क्या नुकसान संभावित है? बालको की भ्रूण हत्या तो शायद एक आध प्रतिशत होती होगी। आमतौर पर तो बालिकाओं की ही हत्या होती है। तो भ्रूण हत्या को बिना बालक–बालिका का भेद किये रोकने का विचार फैलाने में क्या नुकसान है। मैं पूरी तरह समझता हूँ कि हमें महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान छोड़कर इन बेकार की समस्याओं में नही उलझना चाहिए।

(3) कामरेड मुकरम अली, सैमरी, रजपुरा, सम्भल, उ0प्र0, ज्ञानतत्व 6767

प्रश्नः— आपका ज्ञानतत्व मुझे प्राप्त हो रहा है। हमें आपके द्वारा चलाया जा रहा ज्ञानतत्व अभियान जारी रखना चाहिए जिससे कि जनता में ज्ञान का प्रकाश होगा । हम आपके विचारों से बहुत ही प्रभावित है क्योंकि अपने–अपने स्तर पर सुझावों का अभियान चला रखा है इसको जारी रखें। मेरी एक राय है कि सरकार ने गाय हत्या के विषय पर अभियान चला रखा है जिसमें छोटे व्यक्तियों की सजाये हो रही है। इससे तो बेहतर हो कि केन्द्र सरकार मांस का निर्यात विदेशों को करवा रही है, निर्यात के लाइसेंसों को रद्द कर दें। नहीं तो जिस तरह पक्षियो की जातियां विलुप्त हो रही है उसी तरह भारत वर्ष से गाय प्रजाति भी लुप्त हो जायेगी। आप ज्ञानतत्व के माध्यम से सरकार को अल्टी मेटम दें।

सरकार ने जमीन अधिग्रहण का संसद में प्रस्ताव लाया, उसका विरोध हो रहा है। यह कांग्रेसी राज्य में भी हुआ। निजी क्षेत्रों के लिए जमीन सस्ते दामों में दी गई, आज वही कांग्रेस विरोध कर रही है। इससे तो बेहतर हो कि जमीदारी विलुप्ति एक्ट 1957 के लगभग लाये उसका आज तक अमल नहीं हुआ जबकि लाखों एकड़ जमीन नेताओं,

सरमायेदारों, राजनैतिक लोगों के रिश्तेदारों पर हजारों एकड़ दबाये पड़े है। उन जमीनों का अधिग्रहण देशहित में किया जाये।

उत्तरः—गो हत्या पर कोई निष्कर्ष निकालना इतना आसान नही है। यह सही है कि बहुत तेज गति से गायों की संख्या घट् रही है। उसका कारण सिर्फ मांस निर्यात नहीं है। यदि मांस निर्यात घट जायें और गायों का कटना भी बंद हो जाये तब भी गाये तो विलुप्त होंगी ही क्योंकि यदि गोपालन लाभदायक व्यवसाय नहीं बना तो गायों की संख्या बिना कटे भी घटती चली जायेगी। भले ही उसकी रफ्तार कम हो। जोताई में बैलों का उपयोग लगभग बंद हो गया है। दुग्ध उत्पादन भी या तो अलाभकर है अथवा अल्प लाभकर है। यह भी एक कारण है कि गायों की संख्या घट रही है। इसका समाधान यही हो सकता है कि दुग्ध उत्पादन की मूल्यवृद्धि हो। दुध और दुध से बने पदार्थो का आयात रोका जाये तथा उनकी मुल्यवृद्धि होने दी जाये। कृत्रिम ऊर्जा की इतनी मुल्यवृद्धि कर दी जाये कि पशुपालन अपने आप बढ़ने लगे। यदि इतना कर दिया गया तो स्वाभाविक रुप से पशुपालन बढ़ेगा और मांस का निर्यात घटेगा। आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान खोजना चाहिए न कि प्रशासनिक समाधान।

वर्तमान समय में गोहत्या एक साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के हथियार के रुप में उपयोग में आ रही है। अभी–अभी उ0प्र0 के एक गॉव के एक मुसलमान नवयुवक को मारने के लिए गोमांस भक्षण का बहाना खोजा गया। उत्तरांचल मे भी गो तस्करी के नाम पर एक युवक को पीट पीटकर मार डाला गया दुसरी ओर कश्मीर के एक मुसलमान विधायक ने गोमांस पार्टी आयोजित करके ऐसे ही ध्रुवीकरण का प्रयास किया। गाय को एक हथियार बनाकर दोनों तरफ से आक्रमण हो रहा है। एक साम्प्रदायिक मुसलमान टी वी मे प्रश्न कर रहे थे कि गाय की जान अधिक महत्वपूर्ण है या मनुष्य की? उत्तर ठीक से नही दिया जा रहा था। यदि प्रश्नकर्ता से मै प्रश्न करू कि कुरान की जान अधिक महत्वपूर्ण है अथवा मनुष्य की तो प्रश्न कर्ता उसी तरह चुप हो जायेगा जिस तरह उसके प्रश्न पर साम्प्रदायिक हिन्दू उत्तर दाता चुप था। इससे साम्प्रदायिक हिन्दू मुसलमान तो अपना उद्देश्य पूरा कर रहे है, किन्तु बेचारी गाय का क्या होगा इसकी चिंता नहीं। क्योंकि गाय के पक्ष विपक्ष का यह मसला नहीं है। नरेन्द्र मोदी के आने के पूर्व साम्प्रदायिक मुसलमानो के संगठित वोट बैंक की लालच में हिन्दुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया। अब नरेन्द्र मोदी के आने के बाद साम्प्रदायिक हिन्दू संगठनो ने यह तेज प्रयास कर दिया है कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जायें। यह बात सच है कि दुनिया के अधिकांश देशों में संगठित मुसलमान अन्य धर्मावलम्बियों को समान स्तर पर नहीं रहने देते। साम्प्रदायिक हिन्दूओं के तर्क में दम है कि क्यों न भारत के बहुसंख्यक हिन्दू मुसलमानों की इस प्रवृत्ति का अनुकरण करें। यह भावना दोनों ओर से बढ़ती जा रही है और भारत में मुसलमानों के समक्ष एक साफ प्रश्नवाचक संदेश जा रहा है कि वर्तमान स्थिति में वे क्या करें? यदि वे शांति से रहना भी चाहें तो उन्हें न भारत के साम्प्रदायिक हिन्दू शांति से रहने देंगे न ही विदेशों के मुस्लिम संगठन। साथ ही उन्हें भारत के विपक्षी दल भी शांति से नहीं रहने देगे। स्पष्ट है कि परिस्थितियॉ चिंताजनक है और समाधान कुछ नहीं दिखता। हिन्दुओं को शांति से रहने की सलाह देना भी खतरे से खाली नहीं क्योंकि साम्प्रदायिक मुसलमान अब भी मोदी पूर्व की अपनी वरीयता का सपना पाले हुए है। दूसरी ओर शांतिप्रिय मुसलमानों को भी यह शिक्षा देना कठिन कार्य है क्योंकि साम्प्रदायिक हिन्दू अर्थात् शिवसेना, संघ परिवार के लोग किस सीमा तक जाकर रुकेंगे यह मानना बहुत कठिन है। इसलिए मुझे कोई समाधान नहीं दिखता। मैं सरकार को ऐसी स्थिति मे कोई साफ सलाह देने की स्थिति में नहीं हूॅ। किन्तु मैं प्रारंभिक तौर पर इस टकराव का एक समाधान देख रहा हूॅ कि यदि भारत के आम मुसलमान समान नागरिक संहिता के पक्ष में जोर शोर से आवाज उठाना शुरु कर दे तो साम्प्रदायिक हिन्दू दुविधा में पढ़ जायेगे। मैं समझता हूॅ कि मुसलमानों की ओर से ऐसी तीव्र आवाज उठते ही संघ परिवार समान नागरिक संहिता की अपनी चिरपरिचित मॉग को छोड़कर हिन्दू राष्ट्र की मॉग पर जोर देने लगेगा। मुझे विश्वास है कि उन परिस्थितियों में वास्तविक धर्म निरपेक्ष हिन्दूओं और मुसलमानों का एक मजबूत संगठन हिन्दू राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा हो जायेगा। संभव है कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकारी गुट भी समान नागरिक संहिता के समर्थन में खड़ा हो जावे और तब संघ परिवार के साम्प्रदायिक मनसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। यदि मुस्लिम बहुमत नें समझदारी से काम नहीं लिया तो भविष्य क्या होगा यह कहना मेरे बस की बात नही है।

स्वतंत्रता के बाद बड़ी मात्रा में जमीन सस्ते दामों में बॉटी गई यह सच है। किन्तु उक्त जमीन का अब अधिग्रहण करना संभव नहीं है क्योंकि पहली बात तो यह है कि सत्ता में ऐसे पूॅजीपतियों का महत्वपूर्ण प्रभाव है तथा ऐसा करना अब न्यायोचित भी नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजो के शासनकाल में राजाओं, जमीनदारों ने सामान्य लोगों के साथ बहुत अन्याय किया। अंग्रेजो के आने के पूर्व अनेक मुस्लिम राजाओं ने सामान्य हिन्दुओ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। स्वतंत्रता के पूर्व सवर्ण हिन्दूओं ने अवर्ण हिन्दूओं के साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया। यह सब

सच होते हुए भी अब उसका बदला लेना न्याय संगत नहीं है। भले ही नई पीढ़ी ऐसे बदला लेने की धारणा के पक्ष में आवाज उठाती रहती है। न्याय और व्यवस्था मे से किसी एक के पक्ष में यदि किसी तरह भी ज्यादा झुक जाया जायें तो परिणाम खराब होते है क्योंकि न्याय और व्यवस्था का सन्तुलन ही उचित होता है। न्याय बदला लेने की भावना को मजबूत करता है जबकि व्यवस्था भूतकाल को भूलकर वर्तमान की ठीक–ठीक चिंता करने की सलाह देती है। व्यवस्था का टूटना न्याय को भी कमजोर करता है क्योंकि भूख बहुत लग जाये और पूर्ति न हो तो भूख का कोई समाधान नहीं है। मेरी आपको सलाह है कि अब पिछली बातो को भूलकर नये ढंग से नई समाज रचना के प्रयास किये जाये।

4 मनोज कुमार द्विवेदी ऋषिकेश, ज्ञानतत्व कमांक 2250

आपका ज्ञान तत्व पाक्षिक अंक 01 से 15 सितम्बर, 2015 प्राप्त हुआ। उसमें आपके द्वारा दिया गया उत्तर (विचार) पढ़ा। महंगाई पर जो आपके विचार होते हैं वे मुझे समझ में नहीं आते क्योंकि ये विस्तार से नहीं होते या हमारी समझ संकुचित है। जो भी हो आप हमारे मार्गदर्शक हैं। कृपया हमारी शंकाओं के निम्न आधार को मानते हुए विचार देकर समाधान करें। हमारी समझ से महंगाई निर्धारण में सिर्फ कुछ हिस्सों के मजदूरी और कुछ वस्तुओं की महंगाई बढ़ने और घटने से नहीं लगाया जा सकता। महंगाई निर्धारण पर कुछ निम्न आधारों पर विचार करना आवश्यक होता है–

1. मॉग तथा पूर्ति।
2. रोजगार का स्तर।
3. वस्तुओं की कीमत। (सामान्य स्थिति)
4. वस्तुओं की उपलब्धता।
5. वस्तुओं का थोक तथा फुटकर मूल्य।
6. बाजार की दशा।

भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि अर्थव्यवस्था अधिकांश मौसम पर आधारित होती है। कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं वे अधिकांशतः मौसमी और बंधुआ मजदूरी पर आधारित होते हैं। इन सभी मजदूरों के अतिरिक्त भी इनके परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में इन अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए महंगाई की व्याख्या क्या होनी चाहिए? किसी भी नागरिक के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। पहले रोटी की बात– रोटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामग्री–गेंहू और उससे निर्मित आटा, ईंधन, नमक, दाल। एक परिवार में कितने सदस्यों को आधार मानकर खाद्य–सामाग्री उपलब्धता का आंकलन करके महंगाई का निर्धारण करेंगें (ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रीय) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तीन क्षेत्रकों के अंतर्गत भारत सरकार कार्यकम बनाकर योजना चलाती है जिसके आधार पर विकास का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न बहुत हैं पर एक–एक बिन्दुओं पर ही आपके उत्तर और विचार के माध्यम से समाधान पाने की इच्छा रखता हूॅ।

उत्तर– यह सही है कि अनेक विषयों पर मैं विस्तार से उत्तर नहीं देता। क्योंकि अनेक पाठक ऐसे है जो 30–40 वर्षो से ज्ञान तत्व पढ़ रहे है तथा अनेक उनमे से बदलते रहते है, नये जुड़ते रहते है। मैंने मंहगाई पर पूर्व में कई बार विस्तार पूर्वक लिखा। यदि बिना किसी पाठक के प्रश्न के मैं फिर से विस्तार पूर्वक लिखता हूॅ तो पुराने पाठकों को महसूस होता है कि मुनि जी एक ही बात को बार–बार दुहरा रहे है। मेरे पंद्रह वर्षो के पुराने सभी अंक काश इंडिया डांट कांम मे भी उपलब्ध है। फिर भी आपने विस्तार से प्रश्न किये है।

यह सच है कि भारत का प्रत्येक नागरिक मंहगाई के अस्तित्व और उसके प्रभाव को स्वीकार करता है। मैं अकेला व्यक्ति हूॅ जो मंहगाई के अस्तित्व को ही भ्रम मानता हूॅ। मैं जब किसी से तर्क पूर्वक चर्चा करता हूॅ तो सामने वाला मेरी बात से सहमत हो जाता है। किन्तु एक दो दिन के बाद ही फिर से वह महंगाई का समर्थन शुरू कर देता है।

क्योंकि प्रचार माध्यमों द्वारा मंहगाई व्यक्ति के संस्कार में शामिल हो चुकी है और संस्कार विशेष रूप से भारत में विचारों पर हावी रहता है।

भारत में महंगाई 1939 से लेकर 1947 तक थी। महंगाई उसे कहते है जब औसत व्यक्ति की कय शक्ति की तुलना में उसकी उपभोक्ता या उपयोग की वस्तुओं का मुल्य बढ़ जाये और बढ़ता चला जाये। सन 1939 से 1947 तक वस्तुओ के मुल्य मे औसत बारह गुने की वृद्धि हुई थी जबकि कयशक्ति में बहुत मामूली वृद्धि थी। 1947 के बाद भारत में निम्न वर्ग की कयशक्ति उपभोक्ता वस्तुओं के औसत मूल्य से करीब दो गुनी बढ़ी है, मध्यम वर्ग की कयशक्ति आठ गुनी और उच्च वर्ग की चौसठ गुनी बढ़ी है। एक भी समूह ऐसा नहीं है । जिसकी कय शक्ति उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षा कम हुई हो भले ही वह भीख मांगने वाला ही क्यों न हो।

महंगाई अस्तित्वहीन शब्द है और महंगी का अस्तित्व है। महंगाई अनेक वस्तुओं के औसत मुल्य वृद्धि का नाम है जबकि महंगी कोई वस्तु होती है वस्तु समूह नहीं। इसी तरह मुद्रा स्फीति और महंगाई भी अलग–अलग होते है। मुद्रा स्फीति नगद रूपये के मूल्य ह्रास को कहते है। मुद्रास्फीति का सामान्य जन जीवन पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह तो एक प्रकार का सरकार का अघोषित कर है। किसी उपभोक्ता वस्तु की मांग और पूर्ति के बीच जब अंतर बढ़ता है तब वह वस्तु अन्य वस्तुओं का साथ छोड़कर अकेली महंगी हो जाती है। किन्तु यदि सभी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगे और पूर्ति उस मूल्य पर न हो तो वह महंगाई न होकर औसत कय शक्ति के बढ़ने का प्रभाव माना जाता है। यदि हम भारत में मुद्रा स्फीति और कय शक्ति का ऑकलंन करें तो भारत में सोना, चांदी, जमीन, बहुत अधिक महंगे हुए है। कृत्रिम उर्जा, खाद्य तेल तथा दाले औसत बराबर है। सभी प्रकार के अनाज, कपड़ा आदि उपभोक्ता वस्तुए सस्ती हुई है तथा इलेक्ट्रानिक्स के सामान मिटटी के मोल हो गये है। क्या वस्तु सस्ती हुई है और क्या महंगी इसके ऑकलंन का एक पैमाना है कि स्वतंत्रता के बाद यदि किसी वस्तु का मूल्य 2015 में 85 रूपये के बराबर है तो वह वस्तु समान स्तर पर है। यदि उससे अधिक बढ़ा तो महंगी और कम बढ़ा तो सस्ती। इसके साथ ही 33 प्रतिशत निचली आबादी की कयशक्ति 2 गुनी हुई है और अनाज कपडा सस्ता। यही कारण है कि निचली आबादी का भी जीवन स्तर कुल मिलाकर 3 से 4 गुना तक उपर हुआ है।

रोजगार या बेरोजगारी की षणयंत्र पूर्वक परिभाषा विकृत कर दी गई। भारत मे 368 चपरासियो के पदों पर साढ़े तीन लाख लोगों ने आवेदन किया क्योंकि बेरोजगारी की परिभाषा बदल दी गई। यह साढ़े तीन लाख लोग बेरोजगार नहीं थे बल्कि उचित रोजगार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करने वाले लोग है। वर्तमान में भारत सरकार ने न्युनतम श्रम मूल्य 160 रूपया घोषित कर रखा है। इस मूल्य पर भी सरकार सबको वर्ष भर रोजगार देने की गारंटी नही दे पा रही है। 160 रूपया मे जिस व्यक्ति को योग्यतानुसार काम न मिले तो वही बेरोजगार माना जा सकता है। लेकिन बेरोजगारी की परिभाषा बदलकर योग्यतानुसार काम और काम के अनुसार वेतन कर दिया गया जो गलत परिभाषा है।

वस्तुओं की कीमत को रूपये के आधार पर नही आका जा सकता क्योंकि रूपया कभी चांदी का रहता है तो कभी रांगे का हो जाता है और कभी कागज का। रूपये ने अपनी कयशक्ति चांदी से बदलकर सरकार के मान्यता के साथ जोड़ ली तो वस्तुओं के मुल्य की चांदी से तुलना नहीं की जा सकती। कभी–कभी प्राकृतिक आपदाओं या विदेशी मांग के कारण कुछ वस्तुओं की उपलब्धता पर असर पड़ता है। उसके आधार पर ही कुछ वस्तुएं कभी महंगी हो जाती है और कभी सस्ती। यह उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है। अनेक वस्तुएं एक ही समय में महंगी हो जाती है तो अनेक वस्तुए उसी कालखंड में सस्ती भी हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि सभी वस्तुएं एक साथ महंगी हो जाये और यदि कभी ऐसा हुआ तो वह मुद्रा स्फीति होती है उसकी अपेक्षा अधिक मात्रा में औसत कयशक्ति बढ़ जाया करती है।

वस्तुओ के थोक और खुदरा मुल्य में कभी कोई विशेष अंतर नहीं होता। यदि अंतर चालीस वर्ष पहले 10 प्रतिशत का था तो आज भी 10 प्रतिशत का ही हैं। कभी–कभी अल्पकाल के लिये किसी विशेष परिस्थिति में यह अंतर घट–बढ़ जाता है लेकिन औसत अंतर लगभग समान रहता है। यह अवश्य है कि जब मुद्रा स्फीति तेजी से घटने लगती है तो खुदरा और थोक मुल्य का अंतर बढ जाता है। जब मुद्रा स्फीति बढने लगती है तो यह अंतर घट जाता है। वर्तमान मे मुद्रा स्फीति तेजी से घटने के कारण यह अंतर बढ गया है। यह कहना पूरी तरह गलत है कि किन्ही वस्तुओं का लम्बे समय तक स्टाक करके बाजार को प्रभावित किया जाता है। पुराने जमाने में जब आवागमन अथवा संचार साधन कम थे तो स्थानीय उत्पादन का ऑकलन करके व्यवसायी स्टॉक करते थे और कभी–कभी उसका लाभ या हानि भी उठाते थे। वर्तमान समय में यह संभव नही है और दुष्प्रचार मात्र है। किसी एक वस्तु का किसी विशेष परिस्थिति में बाजार की दिशा को अल्पकाल के लिये अपने हित में मोड़ा जा सकता है किन्तु सभी वस्तुओं का लम्बे

समय के लिये ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा करने वाले यदि कभी बहुत लाभ उठाते है तो कभी बर्बाद भी हो जाते है।

जिन कृषक मजदूरों को कृषि कार्य के अतिरिक्त काम नहीं मिलता उन्हें काम देने के लिये सरकार ने नरेगा योजना शुरू की है। वैसे भी आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो काम करना चाहे और उसे चार किलो अनाज प्रतिदिन पर कोई काम न मिले । इसका अर्थ हुआ कि वर्ष मे पंद्रह सौ किलो अनाज का काम तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। और यदि उसके पास तीन आश्रित है तो वर्ष मे एक सदस्य को 500 किलो अनाज तो उपलब्ध है ही। भले ही वह कुछ दिन काम करें और कुछ दिन आराम करें। मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार माना जाय या नहीं । क्योंकि बेरोजगारी की परिभाषा तो बनानी ही पड़ेगी।

मैं समझता हूँ कि यदि आप आदर्श परिभाषा पूक्षे तो मेरे विचार मे एक परिवार जिसके पांच सदस्य हो उसे 350 रूपये प्रतिदिन अर्थात बारह हजार रूपये मासिक आय के रोजगार की गारंटी होनी चाहिये और यदि उससे कम मिल पाता है तो सरकार को उसकी पूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिये। यही कारण है कि मैंने मांग की है कि कृत्रिम उर्जा का मूल्य ढाई गुना करके प्रत्येक परिवार को 10000 रूपया जीवन भत्ता देने की गारंटी दी जानी चाहिये। मैं जानता हूँ कि सभी मध्यम उच्च तथा बौद्धिक शिक्षित जगत के लोग इस मार्ग का विरोध करेंगे। क्योंकि इस मांग से श्रम खरीदने वालों को सस्ता श्रम नहीं मिलेगा और श्रम खरीदने तथा बेचने वालों के बीच दूरी बहुत घट जायेगी। अर्थात श्रम खरीदने वालो को या तो महंगा श्रम खरीदना होगा अथवा स्वयं आंशिक श्रम करना होगा जो वे नहीं चाहते। श्रम को गुलाम बनाकर रखने वाले और सस्ता श्रम खरीदना अपना अधिकार समझने वाले महंगाई का हल्ला करने वाले लोगो को गुमराह करते है।

समीक्षात्मक घटनाएं

झाबुआ ब्लास्ट

झाबुआ म.प्र. के पेटलावद में एक दुर्घटना हुई जिसमें करीब 80 लोग मारे गये। स्पष्ट है कि दुर्घटना किसी घर में गैरकानूनी तरीके से रखे गये जिलेटिन में विस्फोट के कारण हुई। इसके साथ–साथ उन्ही दिनों छ.ग. के सरगुजा जिले के जंगलों में एक हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। नियमानुसार छ.ग. के ग्रामीण को दो लाख रुपया मुआवजा दिया गया और पेटलावद दुर्घटना में मरने वालों को एक–एक लाख रुपया मुआवजा की घोषणा हुई। छ.ग. के ग्रामीण के पक्ष में कोई आवाज उठाने वाला नही था, किसी भीड़ ने कोई आन्दोलन नहीं किया, कोई मानवाधिकार वादी देखने भी नहीं आया। क्योंकि हाथी के कुचलने से होने वाली मृत्यु एक व्यक्ति की थी जो ग्रामीण था जबकि पेटलावद में संगठित आन्दोलन हुआ । अनेक पेशेवर संगठन तथा मीडिया ने वातावरण बनाया और मुख्यमंत्री ने वहॉ के 80 लोगों के लिए मुआवजे के रुप में दस–दस लाख अर्थात् आठ करोड़ रुपया और प्रत्येक परिवार को एक नौकरी घोषित कर दी। यदि मरने वालों की संख्या एक हजार होती तो शायद सारे हिन्दुस्तान के पेशेवर लोग पहुंच जाते और मुख्यमंत्री प्रत्येक को दस लाख की जगह एक एक करोड रूपया दे देते, क्योकि देना तो हमारे खजाने से था और संतुष्ट पेशेवर संगठनों को करना था।

स्पष्ट है कि हाथी राज्य पोषित पशु है और उसके द्वारा की गई हत्या राज्य की सीधी जिम्मेदारी है। जबकि पेटलावद की घटना में राज्य कहीं दोषी नही है। राज्य की सिर्फ इतनी ही लापरवाही है कि उसने दुर्घटना को रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं किये। मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर पेटलावद की दुर्घटना छ.ग. की एक हत्या की अपेक्षा ज्यादा गम्भीर है। क्योंकि उसमें 80 लोगों की जान गई किन्तु यदि ठीक से विचार करें तो छ.ग. की घटना हत्या है और पेटलावद की घटना दुर्घटना। यदि हाथी के मारने से एक व्यक्ति मरा और आपने सरकारी खजाने से दो लाख रुपये दिये तो पेटलावद की घटना को ज्यादा गम्भीर मानकर 80 लोगों में पचास लाख रुपये दिये जा सकते थे । मुझे तो अब तक यह समझ में नही आया कि मरने वालों की संख्या बढ़ने से मरने वाले व्यक्तियों का महत्व कैसे बढ़ गया? मान लीजिए कि यदि मरने वाले एक हजार हो जाते तो क्या सरकार उन्हें पचास–पचास लाख मुआवजा देती? एक व्यक्ति मरा तो दो लाख, पॉच मरे तो पॉच–पॉच लाख, और सौ मरे तो दस–दस लाख। यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आयी कि इस अंतर का क्या औचित्य है? मुझे तो लगता है कि एक गरीब के पास एक वोट था और उसके पीछे न कोई मीडिया था, न एन जी ओ और न सामूहिक वोट की ताकत जबकि पेटलावद दुर्घटना में मीडिया, एन जी ओ और सामूहिक वोट की ताकत का भय था।

सरकार को यह भी समझना चाहिए कि हाथी से सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है और दुर्घटना से सुरक्षा देना सरकार का स्वैच्छिक कर्तव्य है । स्पष्ट है कि दायित्व और स्वैच्छिक कर्तव्य का मुआवजा कभी एक नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि तंत्र से जुड़े लोग दायित्व और स्वैच्छिक कर्तव्य का अंतर ही न समझते हो।

पंचायत चुनाव की योग्यता में शिक्षा का महत्व

राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। हरियाणा सरकार ने भी ऐसा ही नियम बनाया है और मिडिल से लेकर मैट्रिक तक की शिक्षा को प्रत्येक प्रत्याशी के लिए अनिवार्य किया है। न्यायपालिका ने हरियाणा सरकार के इस कानून को अवैध घोषित कर दिया है। विदित हो कि जब छ0ग0 सरकार ने भी ऐसा ही प्रयास किया था तो मैंने इस मापदण्ड का खुला विरोध किया था।

लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग–अलग होते हैं। विधायिका की योग्यता उसके सामाजिक चिंतन के साथ जुड़ी होती है, तो कार्यपालिका की योग्यता उसकी व्यक्तिगत क्षमता के साथ आकलित होती है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो तो आवश्यक नहीं है कि उसकी सोच सामाजिक ही होगी। और कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है तो आवश्यक नहीं कि उसे समाजशास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। किन्तु यह अवश्य है कि शिक्षित व्यक्ति में अशिक्षित की अपेक्षा कार्यक्षमता अधिक होती है। इसीलिए कार्यपालिका में शिक्षा का महत्व अधिक है तथा विधायिका में उसका महत्व कम है। यदि कोई विधायक शिक्षित होगा तो अशिक्षित की अपेक्षा वह कुछ अधिक सशक्त होगा। यह सच है किन्तु कौन विधायक बनने लायक है उसकी योग्यता का मापदण्ड मतदाताओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए, किसी कानूनी योग्यता पर नहीं। यदि कोई पागल व्यक्ति भी चुनाव लड़ना चाहे तो उसे किसी कानून के द्वारा नहीं रोका जा सकता। यदि समाज किसी अपराधी को भी चुनाव लडा़कर संसद में भेजना चाहें तो उसे किसी कानून के द्वारा नहीं रोका जाना चाहिए। क्योंकि वह व्यक्ति अपराधी है यह समाज जानता है और समाज ने यह बात जानते हुए भी उसे उस पद के योग्य माना है। शिक्षा की आवश्यकता इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि वर्तमान समय में विधायिका ने कार्यपालिका के कार्यो में भी अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। इस हस्तक्षेप के कारण ही आज ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें अर्थात् विधायिका के लोगों को अधिक शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा की अनिवार्यता की अपेक्षा यदि विधायिका और कार्यपालिका को अलग–अलग करने का प्रयास होता तो अधिक अच्छा होता। इस मामले में न्यायपालिका ने उचित निर्णय लिया है।

आरक्षण की आग

इतिहास बताता है कि जब भी किसी गलत कार्य की रोकथाम के लिये किसी अनियंत्रित महत्वाकांक्षी व्यक्ति को अनियंत्रित प्रोत्साहन दिया जाता है तो वह प्रोत्साहित व्यक्ति प्रोत्साहन देने के बाद प्रायः खतरनाक बन जाता है। पंजाब में भिंडरावाले और श्रीलंका मे लिट्टे को अनियंत्रित समर्थन का परिणाम हम देख चुके है। गुजरात मे आरक्षण का विवाद भी उसी इतिहास की पुनरावृत्ति है।

आरक्षण एक गलत प्रक्रिया है और आरक्षण के हमेशा दुष्परिणाम ही होंगे। आरक्षण प्रारंभिक स्थिति में न्याय संगत और धीरे–धीरे अन्याय के रूप मे बदलता जाता है। यह एक सिद्धांत है जो कभी नहीं बदलता। भारत में भी यही हुआ। भाजपा और संघ परिवार प्रारंभ से ही आरक्षण के विरूद्ध रहे किन्तु राजनैतिक सामाजिक कारणों से वे विरोध नहीं कर सके। भाजपा को राजनैतिक डर सताता रहा है तो संघ परिवार को यह डर लगा रहा कि आरक्षण खत्म होते ही आरक्षण का लाभ उठा रहे लोग धर्म परिवर्तन की दिशा में न चले जाये। इस भय के होते हुए भी आरक्षण अव्यवस्था और अन्याय है, इस सच्चाई को ये सब स्वीकार करते है।

गुजरात में आरक्षण का विरोध करने के लिये एक नया तरीका खोजा गया कि सवर्णो का एक मजबूत वर्ग स्वयं को कमजोर प्रचारित करके आरक्षण की मांग करने लगा। स्वाभाविक है कि यह मांग संघ परिवार को भी बहुत पसंद आयी और भाजपा के लोग भी इसका विरोध न करके चुप रहे। लेकिन इस मांग के नेता हार्दिक पटेल की उच्च महत्वाकांक्षाएं राजनीति की दिशा मे बढ़ने लगी तो संघ भाजपा चौकन्ने हुए। संघ तो फिर भी चुप रहा किन्तु भाजपा के सामने संकट पैदा हो गया किन्तु तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। हार्दिक पटेल भाजपा के लिये भिंडरावाले बन चुके थे और अब समझा बुझा कर रोकने का कोई उपाय नहीं था। अभी तक यह बात साफ नहीं है कि संघ परिवार के लोग किस सीमा तब इस आंदोलन के विरूद्ध हैं और किस सीमा तक समर्थन में। किन्तु विवाद तो पैदा हो गया है।

इस आंदोलन का भाजपा पर चाहे अच्छा प्रभाव पड़े या बुरा किन्तु आरक्षण जैसी बुराई को समाप्त करने की दिशा में एक नया मार्ग खुला है। हार्दिक पटेल जिस दिशा में जा रहे है वह आंदोलन की दिशा न होकर व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थ कि दिशा में बदल चुकी है। हार्दिक पटेल को सफलता मिलेगी या असफलता यह मेरे

विचार का विषय नहीं है किन्तु आरक्षण जैसी बुराई पर देश को सोचने का एक नया अवसर पैदा हुआ है। यह भी संभव है कि हार्दिक पटेल की महत्वाकांक्षा आरक्षण जैसी बुराई को दूर करने मे बाधक हो क्योकि इस आंदोलन की सफलता की तो अब कोई संभावना नहीं है। बल्कि असफलता बहुत भारी पड सकती है। आंदोलन का प्रारंभ ठीक दिशा में था और अनाड़ी नेतृत्व ने उसे गलत दिशा दे दी।

हामिद अंसारी पर साम्प्रदायिक आक्षेप

भारत के उप राष्ट्रपति हमेशा ही विवादो में रहे है । वे स्वयं विवादो में रहे या साम्प्रदायिक हिन्दुओं ने उन्हें अनावयश्क विवादो में घसीटे रखा यह अलग विषय है, किन्तु इतना सच है कि हामिद अंसारी का उपराष्ट्रपति होना साम्प्रदायिक हिन्दुओं के मन मे हमेशा कांटे के समान चुभता रहा है। एक बार तो यह भी अफवाह उड़ी थी कि कुछ साम्प्रदायिक लोगों ने उन पर शारीरिक आक्रमण की योजना बनाई थी। किन्तु बाद में उस योजना की पुष्टि नहीं हो पायी। इसी तरह ध्वजारोहण समारोह के संबंध में भी अफवाह उड़ी थी किन्तु वह भी झुठी अफवाह सिंद्ध हुई और उपराष्ट्रपति सही सिद्ध हुए। नये घटना क्रम में उपराष्ट्रपति ने किसी मुस्लिम संगठन की बैठक में कुछ तटस्थ बाते कहीं। उन्होंने मुसलमानों को भी कई तरह की उचित सलाहें दीं किन्तु उन्ही सलाहों के अंतर्गत उन्होंने मुसलमानों के विषय में कुछ ऐसी बाते कह दी जिनसे यह आभाष होता है कि भारत मे मुसलमानों से समानता का व्यवहार नहीं हो रहा।

यह सच है कि नरेन्द्र मोदी के पूर्व भारत के मुसलमानों की तुलना में हिन्दुओं के साथ दुसरे दर्जे के नागरिक सरीखा व्यवहार होता था। अब नई सरकार के बाद मुसलमानों के ऐसे विशेष अधिकारो में कमी हुई है और उन्हें समानता के आधार पर देखना शुरू किया गया है, जो उन्हे पसंद नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है जो मुसलमानों को स्वीकार करनी चाहिये थी और मुसलमानों का एक छोटा वर्ग इस सच्चाई को स्वीकार करना भी शुरू कर चुका हैं। अभी–अभी आपने देखा होगा कि भारत के बहुसंख्यक मुस्लिम धर्मगुरूओ ने आई एस आई एस के खिलाफ फतवा जारी किया हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आस्वस्त हूँ कि यदि मोदी सरकार नहीं आयी होती तो ऐसा फतवा या तो जारी ही नहीं होता या होता तो और लाखो मुसलमानों की हत्या के बाद होता । मैं समझता हूँ कि उपराष्ट्रपति महोदय पहली बार विचार व्यक्त करने में चुक गये या भावनाओं में बह गये या प्रचार में बह कर अपनें को नियंत्रित नहीं रख सके। फिर भी सब बाते होते हुए भी हामिद अंसारी एक शालीन व्यक्ति है, उपराष्ट्रपति है और मैं उन लोगों की अधिक निंदा करता हूँ जो इस बात को अनावश्यक उछाल–उछाल कर इसे सम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश कर रहे है। अच्छा होगा कि मोदी सरकार के बाद मुसलमान को एक गुट मानने कि अपेक्षा साम्प्रदायिक मुसलमान और अन्य मुसलमान के रूप में बाटकर देखना शुरू किया जाये। यदि इस तरह देखा जाये तो हामिद अंसारी साम्प्रदायिक मुसलमानों की श्रेणी में शामिल नहीं हो पायेंगे और साम्प्रदायिक हिन्दू उन्हे अनावश्यक परेशान भी नही कर पायेंगे।

उत्तरार्ध
व्यवस्थापक का वार्षिक सम्मेलन

2,3,4 अक्टूबर 2015 को नोयडा सेक्टर 55 के कम्युनिटी सेन्टर बरात घर में व्यवस्थापक का अखिल भारतीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। देश भर के सोलह प्रान्तों से कुल मिलाकर करीब 250 सौं लोगों ने भाग लिया। जिसमें सर्वाधिक उपस्थिति दुर्ग जिला,छ0ग0 से दस लोगों की रही तथा न्यूनतम उपस्थिति पश्चिम बंगाल से एक साथी की हुई। प्रारंभ में 2 अक्टूबर को पौने दस(09.45) बजे आचार्य कुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल जी श्रीमाली ने धरती माता के प्रतीक स्वरुप ग्लोब को माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री ओमप्रकाश जी दुबे के मार्ग दर्शन में लोक स्वराज्य प्रार्थना हुई। हमारे दिवंगत मुख्य संरक्षक ठाकुर दास जी बंग तथा संरक्षक राजसिंग जी आर्य को एक मिनट मौन रहकर श्रद्धांजली दी गई,तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। सम्मेलन में एक संरक्षक विजय कौशल जी यात्रा में होने के कारण नही आ सके। हमारे संरक्षक प्रमोद वात्सल्य जी उपस्थित थे,साथ ही सर्व सम्मति से तीसरे संरक्षक के रुप में श्री रामकृष्ण पौराणिक उज्जैन को घोषित किया गया तथा उन्हें ससम्मान बुलाकर बैठाया गया। सवा दस(10.15) बजे से मुख्य प्रवक्ता बजरंग मुनि जी ने करीब डेढ़ घंटे में सारी योजना तथा आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होने लोकस्वराज्य को विश्वव्यापी आवश्यकता बताया किन्तु यह भी कहा कि हम लोकस्वराज्य के आन्दोलन की शुरुवात भारत से ही करने की योजना बना रहे है।योजनानुसार घोषित चार मुद्दो पर एक संगठन बनेगा जिसकी अंतिम रुपरेखा तीन से बारह अक्टूबर 2017 में जंतर–मंतर पर घोषित होगी। तब तक अनौपचारिक संगठन पूरे देश में

बनता रहेगा तथा साथ ही विचार मंथन भी चलता रहेगा। मुनि जी के प्रस्ताव अनुसार संगठन में चार स्वतंत्र किन्तु एक दूसरे की पूरक ईकाइयॉ बनेगी। जिसमें 1. संरक्षक मण्डल 2. नीति–निर्धारण समिति 3.संगठन समिति तथा 4. अर्थपालिका बनेगी। आन्दोलन में चार मुद्दो के अतिरिक्त कोई पाचवां मुद्दा शामिल नहीं किया जायेगा। न ही संगठन किसी अन्य ऐसे संगठन से सहयोग करेगा जो किसी अन्य मुद्दे को जोड़कर आन्दोलन चलाये,किन्तु यदि कोई साथी किसी एक मुद्दे को लेकर भी सक्रिय होगा तो उसके साथ संगठन जाने के लिए स्वतंत्र है। यह भी सोचा गया कि हमारा आन्दोलन पूरी तरह अहिंसक तथा संवैधानिक तरीके से होगा। अर्थात् किसी भी परिस्थिति में कोई कानून तोडा नही जायेगा। अनेक प्रश्नों के उत्तर में मुनि जी ने स्पष्ट किया कि हम अर्थात समाज मालिक है और मालिक इक्ट्ठा होकर अपने मैनेजर को आदेश दे सकता है, बदल सकता है सारी शक्ति अपने हाथ में लेकर मैनेजर को शक्तिहीन तथा शून्य कर सकता है, किन्तु न तो गिडगिडा सकता है और न ही टकराव का मार्ग पकड़ सकता है। यह भी स्पष्ट हुआ कि अपने पॉच संगठन प्रमुख तथा पन्द्रह नीति–निर्धारण कमेटी के संयोजक मण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रुप से भी राजनीति में नही जा सकेंगे अन्य साथी व्यक्तिगत रुप से राजनीति में जाने या स्वयं करने के लिए स्वतंत्र होंगे किन्तु किसी भी परिस्थिति में संगठन किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नही करेगा और स्वयं को जनमत जागरण तक सीमित रखेगा। लम्बे प्रश्नोत्तर के बाद दूसरा सत्र शुरु हुआ।

दूसरे सत्र में दो अलग अलग दिशाओं में बैठकर चर्चा हुई। एक ओर तो विभिन्न प्रान्तों के छोटे–छोटे समूह अलग अलग सत्रों में बैठकर दायित्व विभाजन के निर्णय लेते रहे तो दूसरी ओर अन्य साथी एक ओर बैठकर मुनि जी के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रश्नोत्तर करते रहे। यह क्रम चार तारीख की दोपहर तक चला। कार्य विभाजन में मुख्य रुप से दो प्रकार के दायित्व दिये गये–1.सरकारी जिले के आधार पर एक जिला प्रमुख का दायित्व जो उस जिले में आने वाले सभी विकासखण्डों तथा शहरों से एक एक सक्रिय सदस्य का चयन करके अपनी जिला कमेटी बनावें। 2. ब्लॉक अध्यक्ष का जो अपने विकास खण्ड अथवा अपने शहर के एक एक गॉव से एक एक व्यक्ति को चुनकर अनुमानित 100 लोगों की एक विकास खण्ड समिति बनावें। यदि किसी शहर की आबादी दो लाख से उपर होगी तो वहॉ दो विकास खण्ड बनाये जा सकते है। जिला कमेटियॉ बन जाने के बाद लोकप्रदेश कमेटी बनाई जायेगी,तथा ब्लॉक कमेटी बन जाने के बाद गॉवों की कमेटी बनाने पर विचार होगा। अनेक साथियों ने अपनी अपनी क्षमतानुसार जिला अथवा ब्लॉक का दायित्व लिया। शेष स्थानों के लिए अपने चार संगठन प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों में दायित्व लेकर जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्ति का काम करेंगे। दिल्ली के लिए प्रत्येक विधान सभा के अनुसार एक एक प्रमुख को चुनकर उनके अर्न्तगत सौ सौ लोगों की कमेटी बनाने का निर्णय किया गया। दिल्ली प्रदेश प्रमुख का दायित्व सुरेश कुमार जी ने स्वीकार किया। दिल्ली और एन सी आर की चर्चा चार तारीख को प्रातः कालीन सत्र में हुई। इस सत्र में श्री रामवीर जी श्रेष्ठ ने अपना विस्तृत प्रस्तावित भाषण दिया,तथा अनेक लोगो ने प्रश्न और शंका का समाधान किया। उसके बाद अलग अलग बैठकर दायित्व वितरण का कार्य सम्पन्न हुआ।

तीन तारीख की शाम को ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान पर एक विशेष सत्र रखा गया। इस सत्र में अब तक रामानुजगंज विकास खंड का संचालन कर रहे श्री राकेश शुक्ल जी, श्री रामराज जी गुप्ता, श्री रामसेवक जी गुप्ता तथा श्री सुनिल विश्वास ने अपने अपने अनुभव बताये। प्रश्नोत्तर भी हुआ। अंत में तय हुआ कि ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान नाम से एक पृथक संगठन बनेगा, जिसका सारा संचालन श्री प्रवीण जी शर्मा के नेतृत्व में तथा उपरोक्त सभी साथियों के साथ मिलकर चलेगा। व्यवस्थापक के संगठन सचिव इस संगठन का भी काम देखते रहेंगे। कार्यालय भी वही होगा। जो साथी इस ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान समिति से जुड़ना चाहेंगे वे पृथक से अपना नाम भेज सकते है। व्यवस्थापक से जुडे साथी भी इस संगठन की सहायता कर सकते है।

चार तारीख को दोपहर बाद समापन सत्र शुरु हुआ। प्रारंभ में सभी आये हुए साथियों ने बारी बारी से अपने संक्षिप्त विचार रखे। उसके बाद आचार्य पंकज जी ने प्रेरक और उत्साहवर्धक समापन भाषण दिया। उन्होंने साथियों को समझाया कि व्यवस्थापक राज्य और समाज के आपसी सम्बंधों को फिर से व्याख्यायित करने का पक्षधर है। व्यवस्थापक चाहता है कि भारत में मालिक कौन है और प्रबंधक या मैनेजर कौन यह साफ साफ दिखना चाहिए । भारत में लोकनियंत्रित तंत्र होना चाहिए लोकनियुक्त नहीं। व्यवस्थापक यह प्रयत्न करेगा कि राज्य,धर्म,जाति, लिंग, उम्र, आदि से उपर उठकर परिवार, गॉव, जिला जैसी ईकाइयों को मजबूत करें। क्योंकि राज्य समाज को विभाजित करने के उददेश्य से इन्हीं धर्म, जाति, लिंग, उम्र आदि का उपयोग करता है। व्यवस्थापक चाहेगा कि संविधान संशोधन के असीम अधिकार संसद के हाथ से सीमित होकर किसी नई समाज निर्मित इकाई के पास आ जावें।

व्यवस्थापक अपने आन्दोलन के लिए लोक स्वराज्य बिल को आधार बनायेगा। आचार्य जी के भाषण का उपस्थित लोगों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। धन्यवाद देते हुए अंत में मुनि जी ने यह व्यक्त किया कि आज आप सब साथियों ने यह दायित्व अपने कंधे पर उठाकर मेरा बोझ हल्का कर दिया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। यह भार मुक्ति ही मेरी ओर से आपके लिए धन्यवाद है। अब मैं भार मुक्त होकर इस संबंध में विश्वस्तरीय जनमत जागरण के लिए अधिक समय दे सकूँगा। समापन के पूर्व मुनि जी ने यह भी घोषित किया कि अगला वार्षिक सम्मेलन अक्टूबर 2016 की लगभग इन्ही तारिखों में दिल्ली में सम्पन्न होगा। निश्चित तारीख और स्थान की सूचना बाद में जायेगी। धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात् यह कार्यक्रम समाप्त हुआ।

सम्मेलन की अति संक्षिप्त रुपरेखा आप तक जा रही है। विस्तारित प्रस्ताव पूर्व के अंक में भी गया है। जो साथी इस सम्मेलन में किसी कारण से नही आ सके। वे पत्र द्वारा स्वयं जिला या विकासखण्ड, शहर, स्तर का दायित्व लेते

हुए हमें अपन सूचना भेजने की कृपा करें। सूचना में अपने जिले या ब्लॉक अथवा शहर का नाम अवश्य लिखें। जो साथी किसी कारण से ऐसा करने में सक्षम नही है वे सुझाव दें कि उनकी जानकारी अनुसार किसी जिले या ब्लॉक, शहर, के लिए किन्हें यह दायित्व देना उचित रहेगा। सूचना के बाद आगे की कार्यवाही कार्यालय से होगी।

संगठन सचिवों का कार्य विभाजन इस प्रकार है–

1.टिकाराम जी –मो.न.–**8826290511** संगठन प्रमुख तथा दिल्ली कार्यालय।

2.जयप्रकाश भारती जी मो.न.–**09718641494** बिहार,पूर्वी उत्तर प्रदेश, छ0ग0,राजस्थान,झारखण्ड।

3.नरेन्द्र सिंह जी मो.न.- **09012432074** पश्चिम बंगाल,असाम,पूर्वोत्तर भारत,उडीसा,गुजरात,उत्तर महाराष्ट्र।

4.अभ्युदय जी द्विवेदी मो.न.- **09302811720** केरल,आन्ध्र,कर्नाटक,तेलंगाना,तमिलनाडू,गोवा,दक्षिण महाराष्ट्र।

5.अंकित नत्थानी जी मो.**8171004671, 09999276427** उत्तराखण्ड,हिमाचल,पंजाब,हरियाणा,म0प्र0,पश्चिमी उ0प्र0,कश्मीर।

आपसे निवेदन है कि आप आवश्यकतानुसार अपने प्रदेश के संगठन सचिव से भी फोन पर चर्चा कर सकते है तथा दिल्ली कार्यालय से भी तथा विशेष स्थिति में अम्बिकापुर कार्यालय अथवा बजरंग मुनि जी से भी । पत्र व्यवहार भी आप दिल्ली या अम्बिकापुर किसी भी कार्यालय से कर सकते है।